राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1687/2024

प्रकाश सिंह निर्वाण **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, अम्बेडकर भवन, G-3/1, राजमहल रेजीडेंसी एरिया, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, अम्बेडकर भवन, G-3/1, राजमहल रेजीडेंसी एरिया, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.04.2024
आदेश की दिनांक : 08.07.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप सक्सेना, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 20.03.2024 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को निलंबन से बहाल करते हुए उसी स्थान पर पदस्थापित किया जावे जहां पर वह पूर्व में पदस्थापित था।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 16.08.2017 के द्वारा सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के पद पर हुई थी। अपीलार्थी की सेवायें हमेशा संतोषजनक रहीं है और उसे राज्य स्तर पर मंत्री द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय सम्प्रेषण एवं किशोर गृह बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर किया गया, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8 का हवाला देते हुये स्थानान्तरण

नहीं किये जाने का उल्लेख करते हुये प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 02.03.2024 को कार्यग्रहण नहीं करने का कारण बताओ नोटिस जारी करते हुये जवाब मांगा गया, जिसका अपीलार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया और अपीलार्थी को दिनांक 15.03.2024 को निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर पदस्थापित किया गया, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा बिना कोई कारण बताये आलोच्य आदेश दिनांक 20.03.2024 के द्वारा उसे निलंबित कर दिया गया, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु कोई निराकरण नहीं किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी को निलंबित किया जाना सेवा नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 20.03.2024 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को निलंबन से बहाल करते हुए उसी स्थान पर पदस्थापित किया जावे जहां पर वह पूर्व में पदस्थापित था।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 16.08.2017 के द्वारा सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के पद पर हुई थी। जहां तक अपीलार्थी को आलोच्य आदेश के द्वारा निलंबित किये जाने का प्रश्न है, आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 20.03.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अपीलार्थी को निलंबित किया गया है, जो सक्षम स्तर से अनुमोदित है। इस प्रकार हम उक्त आलोच्य आदेश में किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन होना नहीं पाते हैं। अतः उक्त प्रकरण में हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य